स्नातकोत्तर हिंदी, cc1 हेतु

राजभाषा अधिनियम 1963 (1967 में संशोधित)

संविधान में यह आश्वासन दिया गया था कि 1965 से सारा सरकारी कामकाज हिंदी में होगा परंतु सरकार की नीति के कारण ऐसा हो नहीं सका | अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी का विरोध हुआ | इसकी प्रतिक्रिया हिंदी क्षेत्र में हुई | भाषा के प्रश्न पर देश में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई | इस स्थिति में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा आश्वासन दिया गया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले अहिंदी भाषी क्षेत्रों की सम्मति प्राप्त की जाएगी और तब तक अंग्रेजी को हटाया नहीं जाएगा | इस आश्वासन को कानून के रूप में पुष्ट किया गया | इस अधिनियम में कुल 9 धाराएं थी -

1. 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती रहेगी जिनके लिए वह इससे पहले प्रयोग में लाई जाती रही है |

2. जब तक कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हिंदी के साथ अंग्रेजी का और अंग्रेजी के साथ हिंदी का अनुवाद पत्र आदि में दिया जाए |

3. संघ के संकल्पों, अधिसूचनाओं, प्रेस-विज्ञप्तियों, विज्ञापनों, करारों, संविदाओं, प्रशासनिक प्रतिवेदनों आदि दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाना, निष्पादित करना और जारी करना अनिवार्य होगा |

4. धारा 3 के लागू होने के 10 वर्ष बाद राजभाषा के संबंध में एक समिति बनाई जाएगी जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे | यह समिति हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करेगी |

5. राष्ट्रपति के अधिकार से राजपत्र में प्रकाशित किसी केंद्रीय अधिनियम आदि का हिंदी अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा |

6. राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा पारित अधिनियमों के हिंदी पाठ या अनुवाद उनके प्राधिकृत पाठ माने जाएंगे |

7. उच्च न्यायालयों के निर्णय में हिंदी या किसी राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकेगा |

8. केंद्रीय सरकार वैधानिक प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है |

9. धारा 6 और 7 के उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे | संशोधन द्वारा यह कहा गया कि जब तक अहिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा |

संकल्प 1968

संसद के दोनों सदनों में पारित संकल्प को ज्ञापन द्वारा प्रकाशित किया गया | इसके मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं -

1. हिंदी के उत्तरोत्तर विकास और प्रयोग के लिए सरकार एक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी जिसकी प्रगति की रिपोर्ट वह प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत करेगी |

2. हिंदी के साथ-साथ सरकार राज्यों की 15 भाषाओं के समन्वित विकास हेतु एक कार्यक्रम तैयार करेगी |

3. एकता की भावना के संवर्धन हेतु भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र को लागू करेगी | हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा (दक्षिणी भाषा) और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा, अंग्रेजी और हिंदी के अध्ययन का संबंध किया जाए |

4. केंद्रीय सेवा में भर्ती के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों का ज्ञान आवश्यक होगा | परीक्षाओं में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं को माध्यमों के रूप में मान्यता दिलाई जाए |